(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 04/2020- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2020

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1), और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के साथ पठित, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :- उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 20क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) क्रम संख्या 20ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/123/2020-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 27/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, सा.का.नि 972 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है ।